फर्द अहकाम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़

प्रकरण संख्या 43 / 2024

## उनवान

श्री अभिषेक कुमार व्यास बनाम श्री सुभाष चन्द्र व्यास
S/o सुभाष व्यास नि. S/o शंकर लाल व्यास
ब्रह्मपुरी मोहल्ला हमीरगढ़ नि. ब्रह्मपुरी, हमीरगढ़

धारा 88, 89, 92(क), 188 प्रा0पत्र / राजस्व वाद

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30/10/24 | बाद जाँच वाद / प्रार्थना पत्र / ईजराय / अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 14/11/24 को पेश हो। <br><br> उपखण्ड अधिकारी <br> हमीरगढ़ | |
| 14/11/24 | प[illegible] पेश हुआ उपखण्ड 14/11/24. पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य [illegible] अवकाश में है, इसलिए मौखिक आदेश से दिनांक 31/12/24 को पेश हो. <br><br> आदेश से रीडर | |
| 31/12/24 | पत्रावली [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश में है, इसलिए मौखिक आदेश से दिनांक 20/1/25 को पेश हो <br><br> आदेश से रीडर | |
| 20/1/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु.। वकील वादी को विधिवत रूप से आवाज लगवाई गई। परन्तु कोई उप. नहीं कोई उप. नहीं। अतः वादी व वादी कि ओर कोई उप. नहीं | |

होने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। फाइल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

फर्द अहकाम

( नियम 26)

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ

1. श्री अभिषेक कुमार व्यास पुत्र श्री सुभाष चन्द्र व्यास(पारीक) नि0 ब्रह्पुरी मोहल्ला, हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज) —प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री सुभाष चन्द्र व्यास(पारीक) पुत्र स्व0 श्री शंकर लाल व्यास नि0 ब्रह्पुरी मोहल्ला, हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज) वगै0
2. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक/तहसीलदार हमीरगढ, जिला भीलवाडा —विपक्षीगण

**किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र नं0 153 सन् 2024**

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 30.10.2024 | प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई कि यह है कि उक्त अनवान का प्रकरण न्यायालय श्रीमान पेश किया जा रहा है, जो काफी ठोस आधारो पर होने से अवश्यमेव स्वीकार होगा। यह कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 एक ही परिवार के सदस्य है। विपक्षी संख्या 01 श्री सुभाष चन्द्र व्यास, प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 एवं 03 के पिता है। यह कि राजस्व ग्राम हमीरगढ, पटवार हल्का हमीरगढ़, भू.अभि.नि. क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 के संयुक्त खातेदारी हक अधिकार, आधिपत्य एवं कब्जेकाश्तकी पुश्तैनी आराजियात संख्या 1632, 1634, 2118, 2119 एवं 5023/1628, कुल किता 05, कुल रकबा 0.7461 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 01 के नाम 1/2 हक हिस्से से दर्ज रिकॉर्ड है तथा शेष 1/2 हक हिस्सा सह खातेदार विपक्षी संख्या 04 सुनील कुमार व्यास के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है, जिसे आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजियात से सम्बोधित किया जायेगा।यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में अंकित वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी आराजियात है, जो विपक्षी संख्या 01 के पिता एवं प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 व 03 के दादाजी (पिता के पिता) स्व. श्री शंकर लाल जी व्यास पुत्र भुरा लाल जी व्यास के नाम सम्वत् 2065 से 2068 की जमाबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड थी। सन् 2011 में प्रार्थी के दादा एवं विपक्षी संख्या 01 के पिता श्री शंकर लाल पिता भुरा लालजी व्यास ब्राम्हण की मृत्यु हो गई और श्री शंकर लाल जी व्यास की मृत्यु के बाद उपरोक्त आराजियात जरिये शंकर लाल जी की विरासत से नामान्तरण संख्या 4175, दिनांकित 20/11/2012 से विपक्षी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुई। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी आराजियात है, जिसमे विपक्षी संख्या 01 के समान ही प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 व 03 का भी जन्म से ही हक अधिकार है और प्रार्थी का उपरोक्त आराजियात मे 1/8 हक हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 02 से लगायत 03 का भी प्रत्येक का 1/8–1/8 हक हिस्सा निहित है। यह कि विपक्षी संख्या 01 भू–माफियाओ के बहकावे मे है और प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में अंकित वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द करने एवं हस्तान्तरित करने पर आमादा है। अभी हाल ही में दिनांक 27/10/2024 को जबकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात पर था तो विपक्षी संख्या 01 जो कि प्रार्थी के पिता है, वादग्रस्त आराजियात पर अपने साथ दो तीन व्यक्तियो को लेकर आये और वादग्रस्त आराजियात के बिकाव की | |

बात की तब प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 को इस बाबत् पुछा तो विपक्षी संख्या 01 ने कहा कि मैं उपरोक्त वर्णित आराजियात को बेचने हेतु सौदा कर रहा हूँ, तब प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 को कहा और समझाने का प्रयास किया कि आप उपरोक्त पुश्तैनी आराजियात को बिकाव नही करे। क्योंकि मेरा भी इसमे हक हिस्सा निहित है, तो विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थी को कहा कि मैं जमीन बेचकर रहूंगा क्योंकि जमीन मेरे नाम पर है और तुझे भी इस जमीन से जबरन बेदखल कर दूंगा। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 को समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन विपक्षी संख्या 01 के नहीं मानने और वादग्रस्त आराजियात को हस्तान्तरित करने पर आमादा होने के कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की नोबत आई है। विपक्षी संख्या 02 व 03 का भी उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात में 1/8–1/8 हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी द्वारा इस बाबत् विपक्षी संख्या 02 व 03 को कहा गया तो विपक्षी संख्या 02 व 03 ने भी विपक्षी संख्या 01 को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन विपक्षी संख्या 01 नहीं माना। विपक्षी संख्या 02 व 03 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुति के समय उपस्थित होने में असमर्थ होने के कारण विपक्षी संख्या 02 व 03 को पक्षकार विपक्षी कायम किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में अंकित आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 के संयुक्त खातेदारी हक अधिकार, आधिपत्य एवं कब्जेकाश्त की पुश्तैनी आराजियात है, जिसमे जन्म से ही प्रार्थी का हक अधिकार है और प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात में 1/8 हक हिस्सा निहित है, जिस कारण वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड की इन्द्राज दुरुस्थी की जाकर प्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात के 1/8 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है और इस हेतु घोषणा की डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण पारित फरमाया जाना आवश्यक है। विपक्षी संख्या 01 वादग्रस्त आराजियात मे निहित प्रार्थी के हक हिस्से को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द एवं हस्तान्तरित नहीं करे और न अन्य किसी से करावे तथा प्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात मे निहित हक हिस्से का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इस हेतु विपक्षीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण पारित फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। यह कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 के संयुक्त खातेदारी हक अधिकार की पुश्तैनी आराजियात है, जिसमे प्रार्थी का भी 1/8 हक हिस्सा निहित है। विपक्षी संख्या 01 भू माफियाओ के बहकावे मे है और वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द करने एवं प्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई कानूनन अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगेगा और यदि विपक्षी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपुरणिय क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन सम्भव नहीं है। इस कारण मुल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 01 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि मुल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 01 वादग्रस्त आराजियात को किसी भी प्रकार से यथा रहन बय बक्षीस से हस्तान्तरित एवं खुर्द बुर्द नही करे और न ही वादग्रस्त आराजियात से प्रार्थी को बेदखल करे और न ही वादग्रस्त प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

अतः न्यायालय श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को मुल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में अंकित राजस्व ग्राम हमीरगढ़, पटवार हल्का हमीरगढ़, भू.अभि.नि. क्षेत्र हमीरगढ, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा की आराजियात संख्या 1632, 1634, 2118, 2119 एवं 5023/1628, कुल किता 05, कुल रकबा 0.7461 हैक्टेयर भूमि को विपक्षी संख्या 01 किसी भी प्रकार से यथा रहन बय बक्षीस, विक्रय से

हस्तान्तरित एवं खुर्द बुर्द नहीं करे और न ही वादग्रस्त आराजियात से प्रार्थी को बेदखल करे और न ही वादग्रस्त आराजियात के उपयोग उपभोग में प्रार्थी के समक्ष किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। विपक्षीगण वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे और विपक्षी संख्या 05 वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करे। राजस्य रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

मैंनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रथमदृष्टया मामला है और सुविधा सतुंलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अगर प्रार्थी को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि से विपक्षीगण द्वारा बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

**—::आदेश::—**

अतः आदेश दिया जाता है ग्राम हमीरगढ, पटवार हल्का हमीरगढ़, भू.अभि.नि. क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजियात संख्या 1632, 1634, 2118, 2119 एवं 5023/1628, कुल किता 05, कुल रकबा 0.7461 हैक्टेयर भूमि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आगामी पेशी दिनांक तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें। प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये नोटीस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 14.11.2024 को पैश हो।

...अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

14/11/24
पत्रावली पेश हुआ अनु...
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य ...
अवकाश में है; अतः शाबिक आदेश पूर्व स्थगन
दिनांक 31/12/24 को पेश हो। आदेश यथावत

आदेश से रीडर

31/12/24
पत्रावली पेश हुआ अनु...
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य ...
अवकाश में है; अतः शाबिक ... पूर्व स्थगन
दिनांक 20/1/25 को पेश हो। आदेश यथावत

आदेश से रीडर

20/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुप० वकील प्रार्थी को लिखित रूप से आवाज लगवाई गई परन्तु कोई उप० नहीं। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी अनुप० रहने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसला अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

ऑनलाईन 2019/00086

प्रकरण संख्या 03/2019

उनवान

भंवर लाल सोनी बनाम कालु लाल

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़ (राज.) | |
| 28-1-25 | पुनश्च:- पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी अधिवक्ता अनु.। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2020 से लम्बित होकर आज वादी को विपक्षीगणों के विरुद्ध प्रस्तुत करने समन प्रोसेस हेतु नियत है। प्रकरण विगत पांच वर्षो से विपक्षीगणों की तामील स्तर पर विचाराधीन है जो कि न्यायिक दृष्टि से बेहद खेदजनक है। पेशी दर पेशी निरन्तर वादी को आवश्यक प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण कराया जाता रहा है कि ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना औचित्य नहीं है एक ही स्तर पर पत्रावली को निरन्तर सुनवाई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोनों जाया होता है | |

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा